राजस्थान सरकार
वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग

क्रमांकः एफ.2(2)वित्त / एसपीएफसी / 2017 जयपुर, दिनांक 31/03/17
संख्या 01 / 2017

परिपत्र

विषयः **समाचार–पत्रों में प्रकाशित होने वाली बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) में Unique Bid Number (UBN) का अंकन अनिवार्य किए जाने के सम्बन्ध में।**

प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा जारी की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना (NIB) एवं बोली दस्तावेज (Bid Document) का प्रथम प्रकाशन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अध्यधीन स्थापित एवं संधारित राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर किया जाना बाध्यकारी है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 8 के प्रावधानानुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली दस्तावेज के प्रकाशन किए जाने के तुरन्त पश्चात् पोर्टल द्वारा प्रत्येक बिड को एक 16 अंक का Unique Bid Number (UBN) आवंटित किया जाता है जो कि वर्णाक्षर एवं अंकों में होते हैं। इस UBN के प्रथम तीन वर्णाक्षर विभाग का कोड, अगले 4 अंक वित्तीय वर्ष, अगले दो वर्णाक्षर बोली का प्रकार, अगला एक वर्णाक्षर देहरी मूल्य (Threshold Value), अगले दो वर्णाक्षर उपापन की पद्धति एवं अंतिम पांच अंक बिड का क्रमांक होते हैं। UBN का उपयोग उपापन के दौरान एवं पश्चात् उपापन संस्था, बिडर्स एवं आमजन द्वारा Tracking हेतु किया जाता है।

दिनांक 15 अप्रेल, 2017 से समाचार–पत्रों में प्रकाशित होने वाली बोली आमंत्रण सूचनाओं में उक्त Unique Bid Number (UBN) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य किया जाता है। अतः 15 अप्रेल, 2017 से बिना Unique Bid Number (UBN) अंकन के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा कोई भी बोली आमंत्रण सूचना (NIB) प्रकाशनार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बोली आमंत्रण सूचना (NIB) का प्रथम प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर किया जावे तथा उसी दिवस को बोली दस्तावेजों का प्रकाशन भी पोर्टल पर किया जाये। बोली दस्तावेजों के राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित होने पर सृजित होने वाले Unique Bid Number (UBN) का उल्लेख समाचार–पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना (NIB) में भी अनिवार्य रूप से किया जावे।

31.3.2017

(रामावतार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (G&T) विभाग